# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी— श्री नरेश कुमार मालव
आर.ए.एस.

| मिसल संख्याः | तारीख दायरा | तारीख निर्णय |
|---|---|---|
| 280/अपील/2017 | 13.12.2017 | 25.05.2018 |

हरिभजन आ0 अम्बालाल जाति मीणा निवासी ग्राम गम्भीरी तहसील नैनवां जिला बून्दी (राजस्थान)

— अपीलांट

— बनाम —

राजस्थान सरकार जर्ये नायब तहसीलदार नैनवां जिला बून्दी (राज0)

— रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 01.11.2017
नायब तहसीलदार, नैनवां
अन्तर्गत धारा 91 रा0 भू राजस्व अधिनियम
अपील अन्तर्गत धारा 75 भू—राजस्व अधिनियम।

उपस्थित :—

अपीलांट की ओर से — श्री सैयद फैसल, अभिभाषक।
रेस्पोडेन्ट की ओर से — पेरोकार सरकार

## —: निर्णय :—

यह अपील नायब तहसीलदार, नैनवां द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.11.2017 से अप्रसन्न होकर अपीलान्ट ने अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम के तहत इस न्यायालय में पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश के तहत अपीलान्ट को आराजी खसरा नम्बर 09 रकबा 05 बीघा किस्म चरागाह वाके ग्राम गम्भीरी तहसील नैनवां का अतिचारी मानते हुये धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के तहत बेदखली, फसल जप्ती, पैनाल्टी 250/— रूपये एवं 90 दिन सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।

बहस अभिभाषक अपीलान्ट व पेरोकार सरकार सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यो को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय वस्तु स्थिति व विधान के सर्वथा विपरित होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ

न्यायालय ने हल्का पटवारी की रिपोर्ट पर अपीलान्ट को जिरह का अवसर नहीं दिया है। हल्का पटवारी के बयान अपीलान्ट की अनुपस्थिति में लिये गये है। पटवारी के बयान में जिरह का अवसर नहीं दिया गया है, मात्र पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट को सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है जो न्यायसंगत नहीं है। अपीलान्ट को अपने बचाव पक्ष में सुनवायी का अवसर नहीं दिया गया है। अपीलान्ट ने विवादित भूमि से कब्जा छोड़ दिया है तथा पैनाल्टी राशि भी जमा करा दी गई है। अपीलान्ट भविष्य में अतिक्रमण नहीं करेगा। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अपीलाधीन अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 01.11.2017 निरस्त फरमाया जावे।

पेरोकार–सरकार ने बहस के दौरान अपने मौखिक तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलान्ट ने राजकीय चरागाह भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् नोटिस दिया गया है तथा अपीलान्ट को सुनवाई का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अवसर दिया गया है। अपीलान्ट को गत वर्ष भी अतिक्रमित भूमि से बेदखल किया गया था जिसका विवरण पटवारी बयान व अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में अंकन है। अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है तथा बार–बार अतिक्रमण करने का आदि है। अपीलान्ट ने अतिक्रमण भूमि से कब्जा नहीं छोड़ा है, कब्जा छोड़ने बाबत् कोई साक्ष्य, पटवारी रिपोर्ट आदि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध रिपोर्ट पटवारी के अवलोकन से प्रकट है कि अपीलान्ट ने विवादित भूमि पर अतिक्रमण किया है। पटवारी रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलान्ट द्वारा जिस भूमि पर अतिक्रमण किया गया है वह चरागाह भूमि है जिस पर किसी भी व्यक्ति को अतिक्रमण व कब्जा करने का अधिकार नहीं है। अपीलान्ट ने अपील में निवेदन किया है कि उसने विवादित भूमि से कब्जा छोड़ दिया है तथा बकाया पैनाल्टी जमा करवा दी गई है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में कब्जा छोड़ने बाबत् पटवारी रिपोर्ट व अन्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अपीलान्ट ने यह भी निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलान्ट को पश्चातवर्ती प्रमाणित करने के सम्बन्ध में पूर्व निर्णय की व मौके से बेदखल करने की घटना बही की प्रति संलग्न नहीं है, बिना दस्तावेज व साक्ष्य के अपीलान्ट को पश्चातवर्ती नहीं माना जा सकता। अपीलान्ट को बिना पश्चातवर्ती साबित किये सिविल कारावास की सजा से दण्डित नहीं किया जा सकता।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में गत वर्ष अपीलान्ट को बेदखल किये गये निर्णय का अंकन अपीलाधीन निर्णय में है तथा अपीलान्ट को गत वर्ष बेदखल किये गये निर्णय की प्रति भी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में शामिल है जिससे अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना प्रमाणित होता है तथा अपीलान्ट विवादित भूमि पर बार--बार अतिक्रमण करने का आदि है तथा बहुत अधिक चरागाह भूमि पर अतिक्रमण कर रखा हैं। परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 25.05.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

25/5/18

(नरेश कुमार मालव R.A.S.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बून्दी (राज0)